दिनांक–23.07.2018 को प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में AMRUT एवं निश्चय योजना की समीक्षा बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति– संलग्न।

(1) प्रधान सचिव द्वारा सर्वप्रथम AMURT योजनान्तर्गत मुंगेर, जमालपुर एवं औरंगाबाद के जलापूर्ति योजना के DPR समर्पित करने में विलम्ब पर खेद व्यक्त करते हुए SLTC की बैठक दिनांक–03.08.2018 को निर्धारित किया गया एवं उक्त बैठक के पूर्व DPR विभाग में समर्पित करने का निदेश दिया गया।

अधीक्षण अभियंता, बी0आर0जे0पी0 द्वारा बताया गया कि मुंगेर जलापूर्ति योजना का डी0पी0आर0 cost लगभग 348 करोड़ का है, प्रधान सचिव द्वारा उक्त डी0पी0आर0 की समीक्षा कर SLTC की बैठक के पूर्व DPR समर्पित करने का निदेश दिया गया।

इसी प्रकार जमालपुर एवं औरंगाबाद (Phase II) जलापूर्ति योजनाओं का भी DPR दिनांक–03.08.2018 के पूर्व समर्पित करने का निदेश दिया गया।

अधीक्षण अभियंता, बी0आर0जे0पी0 द्वारा बताया गया कि AMRUT योजनान्तर्गत औरंगाबाद जलापूर्ति योजना (Phase I) में कार्य प्रारम्भ है तथा औरंगाबाद (Phase II) में पानी का source बारूण में है तथा इस योजना का DPR cost लगभग 150 करोड़ है। प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि औरंगाबाद जलापूर्ति योजना Phase I एवं Phase II दोनों के लिए एक ही स्थान में source से जलापूर्ति का कार्य किया जाय।

अनुपालन– अधीक्षण अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद

(2) AMRUT योजनान्तर्गत कटिहार नगर निगम क्षेत्र में FSSM का DPR अभी तक अप्राप्त रहने पर खेद व्यक्त किया गया तथा Nodal Officer, AMRUT योजना को निदेश दिया गया कि उक्त FSSM Project का DPR तैयार करा कर दिनांक–03.08.2018 को SLTC की बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत करें।

(3) नोडल पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि वर्त्तमान में AMRUT योजनान्तर्गत आरा, जहानाबाद एवं भागलपुर में पार्क निर्माण का प्राक्कलन प्राप्त है, निदेश दिया गया कि दिनांक–03.08.2018 की प्रस्तावित SLTC की बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय। यह भी निदेश दिया गया कि सभी नगर निकायों को यह निदेश दिया जाय कि पार्क निर्माण में concrete का कम से कम उपयोग किया जाय तथा पार्क Eco-friendly हो।

अनुपालन– विभागीय नोडल पदाधिकारी, AMRUT

(4) अधीक्षण अभियता, बी0आर0जे0पी0 द्वारा बताया गया कि 6 जलापूर्ति योजनाओं का वित्तीय बिड निष्पादन हेतु लंबित है। निदेश दिया गया कि दिनांक–25.07.2018 तक सभी वित्तीय बिड का निष्पादन कर कार्यादेश निर्गत करें।

अनुपालन– अधीक्षण अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद

जलापूर्ति योजना के संबंध में यह भी निदेश दिया गया कि सभी चल रही योजनाओं का milestone निर्धारित कर सभी योजनाओं का समेकित रूप से विवरणी दिनांक–24.07.2018 तक विभाग को उपलब्ध कराया जाय। AMRUT योजनान्तर्गत

मीठापुर बेउर ड्रेनेज योजना का भी milestone दिनांक–24.07.2018 तक विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(5) प्रधान सचिव द्वारा AMRUT योजना में संवेदकों द्वारा बिछाये जा रहे पाईप लाईन एवं गृह जल संयोजन की समीक्षा की गई तथा यह पाया गया कि पाईप लाईन की लम्बाई के अनुपात में गृह जल संयोजन की संख्या काफी कम है, जिस पर असंतोष व्यक्त किया गया। इस संबंध में पूर्व में भी निदेश दिया गया था कि पाईप लाईन के समरूप House Connection होना चाहिए। उक्त के संदर्भ में पुनः निदेश दिया गया कि संवेदकों द्वारा जितनी लम्बाई में पाईपलाईन बिछायी जाती है, उसके 70% लम्बाई में कम से कम गृह जल संयोजन का कार्य कर दिया जाय एवं इस आधार पर ही संवेदक को बिछाये गये पाईप लाईन आदि का भुगतान किया जाय। यह स्पष्ट रूप से निदेशित किया गया कि मात्र पाईपलाईन बिछाने पर संवेदक का भुगतान नहीं किया जाय।

जलापूर्ति योजना में इसी प्रकार की भुगतान प्रक्रिया सभी योजनाओं यथा राज्य योजना एवं नगर निकायों द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं में भी लागू करने का निदेश दिया गया।

अनुपालन– बिहार राज्य जल पर्षद, विभागीय उप सचिव

(6) गृह जल संयोजन के संबंध में बैठक में स्पष्ट किया गया कि निजी बोरिंग वाले घरों में गृह जल संयोजन नहीं करना है एवं इस संबंध में पूर्व में निदेश संसूचित किया गया है।

अनुपालन– विभागीय नोडल पदाधिकारी (नल जल निश्चय)

(7) क्षेत्र भ्रमण के क्रम में प्रायः यह शिकायत प्राप्त हो रहा है कि जलापूर्ति हेतु सड़क काटने एवं पाईप बिछाने के उपरान्त भी उसे Restore नहीं किया जाता है एवं उसे खुला ही छोड़ दिया जाता है, जिसमें स्थानीय नागरिकों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। निदेश दिया गया कि जहाँ पाईप बिछाने हेतु सड़क काटा जाता है, वहाँ पाईप बिछाने के उपरान्त तुरन्त ही उसे Restore कर दिया जाय।

अनुपालन– बिहार राज्य जल पर्षद, विभागीय नोडल पदाधिकारी

(8) अधीक्षण अभियंता, बी0आर0जे0पी0 को निदेश दिया गया कि वे सभी योजनाओं का कम से कम 3 स्टेज (Initial, Intermediate एवं final) का फोटोग्राफ करा कर soft copy में विभाग को उपलब्ध कराये, साथ ही road wise एवं Ward Wise गृह जल संयोजन का details soft copy में रखें ताकि योजनाओं का verificatin किया जा सके। उक्त Road Wise एवं Ward Wise योजनाओं की प्रति संबंधित नगर निकाय को भी दी जाय।

(9) अधीक्षण अभियंता, बी0आर0जे0पी0 को निदेश दिया गया कि AMRUT/अन्य योजनाओं में उपलब्ध करायी गई राशि का U/C शीघ्र समर्पित करें।

अनुपालन– बिहार राज्य जल पर्षद

(10) AMRUT reforms के संबंध में WAPCOS के Team Leader को निदेश दिया गया कि वे Reforms के सभी कार्य शीघ्र कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करें।

अनुपालन— Team Leader- Wapcos

नल–जल निश्चय योजनाः–

(1) अरवलः– अरवल नगर परिषद के 1 वार्ड में गृह जल का पूर्ण आच्छादन बी0आर0जे0पी0 द्वारा किया जाना है तथा OHSR भी निर्मित है। नगर निकाय द्वारा शेष वार्डो में जलापूर्ति किया जाना है। तद्नुसार अधीक्षण अभियंता बी0आर0जे0पी0 को निदेश दिया गया कि वे दिनांक–25.07.2018 को कार्यपालक पदाधिकारी के साथ संयुक्त निरीक्षण कर लें कि उक्त OHSR एवं बी0आर0जे0पी0 के Network से कितने वार्ड एवं घरों में जलापूर्ति की जा सकती है।

अनुपालन— बिहार राज्य जल पर्षद, नगर परिषद्, अरवल

(2) रफीगंजः– रफीगंज नगर निकाय में बोरिंग सफल नहीं हो रहा है, बैठक में बताया गया कि रेवले लाईन के उत्तर में चरवाहा विद्यालय के पास source उपलब्ध है, जिससे रेलवे लाईन के उत्तर अवस्थित वार्डों में जलापूर्ति हो सकती है, परन्तु रेलवे लाईन के दक्षिण अवस्थित वार्डों में उक्त source से पाईप लाईन लाने में कठिनाई होगी। इसका वैकल्पिक उपाय खोजने का निदेश दिया गया है। इसके लिए विभागीय उप सचिव, के०डी० प्रौज्ज्वल को रफीगंज जाकर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालन— बिहार राज्य जल पर्षद, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, अरवल तथा विभागीय उप सचिव

(3) फुलवारीशरीफः– फुलवारीशरीफ नगर निकाय में शेष बचे 3000 घरों के गृह जल संयोजन हेतु प्राक्कलन बुडको द्वारा उपलब्ध कराया गया है, परन्तु उसमें वार्डवार स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। प्रधान सचिव द्वारा इस प्रकार के प्राक्कलन उपलब्ध कराने पर काफी रोष व्यक्त किया गया। पूर्व में प्रबंध निदेशक, बुडको के समक्ष फुलवारीशरीफ नगर परिषद क्षेत्र में वार्डवार तथा सड़कवार विवरणी के साथ प्राक्कलन उपलब्ध कराने का निदेश था, ताकि नगर निकाय उसे verify कर सके एवं जितने घर गृह जल संयोजन हेतु बचे है उन्हें आच्छादित किया जा सके। परन्तु बुडको द्वारा बिना किसी विवरणी के अनावश्यक रूप से प्राक्कलन तकनीकी अनुमोदन के उपरान्त भेज दिया गया है, जो अत्यन्त खेदजनक है।

निदेश दिया गया कि पूर्ण विवरणी के साथ फुलवारीशरीफ में शेष घरों को आच्छादन हेतु 1 सप्ताह के अन्दर प्राक्कलन उपलब्ध कराया जाय अन्यथा यह समझा जायेगा कि बुडको कार्य करने में सक्षम एवं गंभीर

नहीं है तथा तथ्यों से माननीय मंत्री को भी अवगत कराया जायेगा। एवं नगर निकाय से कार्य कराने पर विचार किया जाएगा।

अनुपालन– प्रबंध निदेशक, बुडको एवं उप सचिव

(4) सोनपुरः– बैठक में कार्यपालक पदाधिकारी एवं बी0आर0जे0पी0 के अधीक्षण अभियंता द्वारा बताया गया कि सोनुपर नगर पंचायत में बुडको द्वारा 4 ट्यूबवेल अधिष्ठापित किये गये है। बी0आर0जे0पी0 के अभियंताओं द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त ट्यूबवेल की Discharge capacity की जाँच कराना आवश्यक है एवं इस संबंध में विभाग से निदेश भी निर्गत है। परन्तु अभी तक बुडको द्वारा उक्त सभी 4 ट्यूबवेल के Discharge capacity एवं designed, network के संबंध में कार्यपालक पदाधिकारी सोनुपर को कोई भी स्पष्ट सूचना नहीं दी गई है, फलतः कार्य बाधित है।

इस संबंध में प्रबंध निदेशक, बुडको से पृच्छा करने का निदेश दिया गया।

अनुपालन– बुडको एवं विभागीय प्रशाखा– 02

<u>नली–गली पक्कीकरण निश्चय योजनाः–</u>

नोडल पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि कुल 3380 वार्ड में से 3233 वार्डों में निविदा निकाली गई है। निदेश दिया गया कि जिन नगर निकायों से संबंधित 147 वार्डों में एक बार भी निविदा नहीं निकाली गई है, उसे चिन्हित कर शीघ्र निविदा एवं कार्य प्रारम्भ कराने की कार्रवाई की जाय।

अनुपालन– विभागीय नोडल पदाधिकारी (नाली–गली निश्चय)

अन्त में सधन्यवाद बैठक समाप्त की गई।

25/7/2018

(चैतन्य प्रसाद),
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–2ब० / जला०–01–05 / 2016 4014 / न०वि०एवंआ०वि० / पटना, दिनांक–27/07/18

प्रतिलिपिः– प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद / प्रबंध निदेशक, बुडको / विभागीय उप सचिव / नोडल पदाधिकारी, नल–जल निश्चय एवं नाली–गली निश्चय / कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत– सोनपुर एवं रफीगंज / कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्– फुलवारीशरीफ एवं अरवल / टीम लीडर, Wapcos को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

25/7/2018

सरकार के प्रधान सचिव।

आनंद

D:\Section - 2 (18-19)\Anand\Meeting\dt-23.07.2018 AMRUT MEETING (1).docx

हर घर नल जल निश्चय योजना के क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं के निदान के संबंध में दिनांक– 23.07.2018 को आयोजित बैठक की उपस्थिति विवरणी :–

क्र० सं०	नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1.			
2.	विजय दयाल	विशेष सचिव	[signature]
3.	के० डी० प्रोज्ज्वल	उप सचिव न० वि०आ० वि	[signature] 23/7/18
4.	रामचन्द्र प्रसाद	अधी० अभि० अनुश्रवण वि० रा० जा० प०	[signature]
5.	दयाशंकर कुमार	कार्य० अभि० (प्र० के०) BRJP	[signature] 23/7/18
6.	सामन्त कुमार सिंह	E. E	[signature] 23/7/18
7.	शिवनाथ ठाकुर	E.O	[signature] 23/7
8.	मनीष कुमार	MES & IT Specialist WAPCOS	Manish Kumar
9.	Sanjay Kumar Pandey	Team Leader wapcos	[signature]
10.	राज किशोर लाल	कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत, [illegible]	[signature] 23/07/18
11.	आनन्द कुमार	नगर प्रबंधक नगर परिषद फुलवारीशरीफ	[signature] 23.07.18
12.	राधा चन्द्र कान्त	बुडको	[signature] 23/07/18
13.	Gaurav Kumar	MIS - Expert (Statistics) DAY-NULM	गौरव कुमार 23/07/18
14.	समीर राज	J.E [illegible]	[signature] 23/07/18
15.			
16.			
17.			